न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 12.10.2022

अपील संख्या 2022/184

उनवान

1– मोहनलाल आयु 59 वर्ष पुत्र श्री गेन्दीलाल, जाति कोली
2– अन्तिमा आयु 26 वर्ष पुत्री श्री प्रेमचन्द, जाति कोली
3– कमलेश आयु 24 वर्ष पुत्री श्री प्रेमचन्द, जाति कोली
4– मिथलेश आयु 22 वर्ष पुत्री श्री प्रेमचन्द, जाति कोली
निवासीगण कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
5– नाथी बाई आयु 69 वर्ष पुत्री गेन्दीलाल पत्नि श्री बाबूलाल, जाति कोली, निवासी गायत्री नगर अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
6– गणेशी आयु 58 वर्ष पुत्री गेन्दीलाल पत्नि श्री बिरधीलाल, जाति कोली, निवासी गायत्री नगर अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
7– भूली आयु 64 वर्ष पुत्री गेन्दीलाल पत्नि श्री छीतरलाल, जाति कोली, निवासी लौटा भैरू मोहल्ला तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
8– निर्मला आयु 56 वर्ष पुत्री श्री गेन्दीलाल पत्नि श्री मन्ना लाल, जाति कोली, निवासी रंगपुर रोड़ सील वाले बाबा महावीर कालोनी, ठाकुर हार्डवेयर के सामने, कोटा, जिला कोटा (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– हरिशंकर आयु 67 वर्ष पुत्र श्री छगनलाल, जाति कोली
2– नवल किशोर आयु 50 वर्ष पुत्र श्री छगनलाल, जाति कोली
3– उमा वरमेन्द्र आयु 54 वर्ष बेवा प्रद्युम्न सिंह, जाति काली
4– यशुघुम्न सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र प्रद्युम्न सिंह, जाति काली
5– नेहा वरमेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्री प्रद्युम्न सिंह, जाति काली
निवासीगण कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
6– आदित्यनेन्द्र वरमेन्द्र पुत्र श्री कंवरलाल, जाति कोली, निवासी नयागांव रावतभाटा रोड़, कोटा, जिला कोटा (राज0)
7– कान्ति पुत्री श्री कंवरलाल पत्नि श्री शादीलाल, जाति काली, निवासी ब्लड बैंक के पीछे, बसन्त विहार, कोटा, जिला कोटा (राज0)
8– कृष्णा पुत्री श्री कंवरलाल पत्नि श्री लालचन्द, जाति कोली, निवासी रंगबाडी, कोटा, जिला कोटा (राज0)
9– गायत्री पुत्री श्री कंवरलाल पत्नि श्री विजय कुमार, जाति कोली, निवासी रेल्वे कॉलोनी, गंगापुर सिटी (राज0)
10– उषा पुत्री श्री कंवरलाल पत्नि श्री लक्ष्मण, जाति कोली, निवासी कोली मोहल्ला चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर (राज0)
11– राजस्थान सरकार जर्य तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा रेस्पोडेंट कम 1 व 2 की ओर से
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19.06.2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 147/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कवाई तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार खाता सं. 337 की खसरा नं. 710 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नं. 711 रकबा 0.37 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 हेक्टर भूमि स्थित है। इसी तरह से ग्राम एवं माल कवाई में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार खाता सं. 336 की खसरा नं. 476 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2016 से प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.10.2015 की अनुपालना में तहसीलदा, अटरू द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिससे वकील उभयपक्ष सहमत है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी का यशघुमन सिंह पुत्र नेहा वरमेन्द्र पुत्री उमा नामेन्द्र बेवा प्रद्युम्न सिंह आदित्य सिंह पुत्र कान्ती, कृष्णा गायत्री, उषा पुत्रियां माया देवा बेवा कंवरया, जाति कोली को खसरा नं. 711 (पश्चिम) रकबा 0.14 किस्म चाही 2 लगान 4.48, खसरा नं. 711 (पश्चिम) रकबा 0.20 किस्म माल 2 लगान 3.20 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34, हरिशंकर, नवल किशोर पुत्र छगन लाल, जाति कोली को खसरा नं. 711 (पूर्व) रकबा 0.03 किस्म माल 2 लगान 0.48, खसरा नं. 710 (पश्चिम) रकबा 0.31 किस्म चाही 2 लगान 9.92 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34, दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिमा पुत्रियां प्रेम चन्द, मोहनलाल, पुत्र नाथी गणेशी, भूली, मुन्नी, निर्मला पुत्रयां गेंदीलाल, जाति कोली खसरा नं. 710 (पूर्व) रकबा 0.12 किस्म चाही 2 लगान 3.84, खसरा नं. 710 (पूर्व) रकबा 0.22 किस्म माल 2 लगान 3.52 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34, दीपक पुत्र कमलेश, मिथलेश, अन्तिमा पुत्रियां प्रेम चन्द, मोहनलाल पुत्र नाथी गणेशी, भूली, मुन्नी, निर्मला पुत्रियां गेंदीलाल हिस्सा 1/2 हरिशंकर, नवलकिशोर वल्द छगनलाल हिस्सा 1/2 कोम कोली, सा0 देह खसरा नं. 477 रकबा 0.76 माल 1 लगान 9.12 एवं हरिशंकर, नवलकिशोर पुत्र छगनलाल, जाति कोली, सा0 देह खसरा नं. 476 रकबा 0.80 किस्म माल 1, लगान 9.60 के अनुसार विभाजन किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता सं. 336 के खसरा नं. 476, 477 बाबत पारित अन्तिम डिक्री अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण के मध्य आपसी सहमति से न्याय आपके द्वारा राजस्व केम्प लोक अदालत कवाई सन् 2015 में विभाजन बाबत पक्षकारों के मध्य हुई एक सहमति बंटवारा से असंगत होने से निरस्तनीय है। खाता सं. 336 के बाहमी बंटवारे के खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर, अपीलांटगण को हिस्से में मिली थी व खसरा नं. 476 रकबा 0.80 हेक्टर आराजी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को हक हिस्से में मिली थी। बाहमी बंटवारा उपरान्त से ही अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण अपने अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री में कब्जे काश्त अनुसार ही बंटवारे के आदेश हुए थे। कब्जे काश्त अनुसार ही, अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने सहमति से बंटवारा आलेखित कर सहमति बंटवारे पर हस्ताक्षर किये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 16.03.2016 में भूलवश बाहमी बंटवारे से असंगत अपीलांटगण के हक हिस्से के खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर में रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का 1/2 हिस्से की अंतिम डिक्री गलत पारित की है जिसका दुरूस्त करवाकर सहमति विभाजन अनुसार बंटवारा करवाने के अपीलांटगण अधिकारी है। खातेदारान अपीलांट नाथी बाई, गणेशीबाई, भूलीबाई, निर्मला बाई व दीपक एवं अन्तिमा ने खाता सं. 336 की आराजी में अपने हक हिस्से की आराजियात के बदले कुआ वाली शामलाती आराजियात की मुआवजा राशि के बदले मोहनलाल के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिये जाने से खसरा नं. 477 आराजी अकेले अपीलांट मोहनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज की जानी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में सहमति से भूमि हस्तान्तरण करने बाबत आलेखित हस्तान्तरण

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दस्तावेज को नजर अन्दाज कर खसरा नं. 477 की आराजी में अपीलांटगण का नाम संयुक्त खातेदारी में विभाजित कर पारित की गई डिक्री आपसी सहमति एवं हस्तान्तरण दस्तावेज से असंगत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

आपसी सहमति बंटवारा एवं हस्तान्तरण दस्तावेज के उपरान्त से ही खाता सं. 336 के खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर आराजी पर अपीलांट क्रम 1 बहैसियत मालिक स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने आपसी सहमति बंटवारे से असंगत आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है, जिससे अपीलांटगण के विवादित आराजी में प्राप्त खातेदारी हक हकूकों का हनन हुआ है। इस कारण अपीलांटगण खाता सं. 336 के खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर आराजी पर रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के हिस्से में पारित अंतिम डिक्री को निरस्त करवाकर सम्पूर्ण खसरा नं. 477 अपने हक हिस्से में खाते दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्याय आपके द्वारा में पक्षकारों के मध्य हुए सहमति विभाजन व हस्तान्तरण दस्तावेजों से असंगत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजियात में सहखातेदार प्रेमचन्द के वारिसान के रूप में दीपक व अन्तिमा सहखातेदार थे, दीपक की मृत्यु उपरान्त कमलेश व मिथलेश का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से कमलेश व मिथलेश को अपीलांट क्रम 3 व 4 के रूप में अपील में पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 16.03.2016 निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सभी पक्षकारों के बीच आपस में राजीनामा हुआ था। आपसी सहमति का बंटवारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री सही पारित की गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 16.03.2016 में भूलवश बाहमी बंटवारे में अपीलांटगण के हक हिस्से की आराजी खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर में रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 का 1/2 हिस्से की अंतिम डिक्री गलत पारित कर दी।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपील मनगढन्त व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति होने के बाद निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को परेशान करने के उद्देश्य से अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की कोई अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नही की है। इस कारण अपीलांट को अंतिम डिक्री करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील खारिज करने की जाये।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सहमति बंटवारा के अनुसार "सभी सहखातेदार निम्न प्रकार से सहमति बंटवारा करना चाहते है एवं काबिज काश्त है।" मोहन पुत्र नाथी, गणेशी, भूली, मुन्नी, निर्मला पुत्रिया गेन्दीलाल कौम कोली सा0 देह खसरा नम्बर 477 रकबा 0.76 हैक्टर तथा हरिशंकर, नवलकिशोर पुत्र छगनलाल कोम कोली सा0 देह खसरा नम्बर 476 रकबा 0.80 हैक्टर दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सहमति बंटवारा के आधार पर आराजी का बंटवारा नहीं किया जाना त्रुटिपुर्ण सिद्ध होता है।

अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2016 को अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसमें हरिशंकर, नवलकिशोर पुत्र छगनलाल को मुताबिक सहमति बंटवारा खसरा सं. 476 रकबा 0.80 हेक्टर दिया गया जो सहमति बंटवारा के अनुसार उचित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित करते हुए खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर में भी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को 1/2 हिस्सा दे दिया गया। खसरा नं. 477 में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को देना त्रुटिपूर्ण होने से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है।

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत सहमति बंटवारा के अनुसार अपीलांटगण के हक हिस्से की आराजी खसरा नं. 477 रकबा 0.76 हेक्टर से रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का नाम डिलीट करते हुये प्रकरण में पुनः नये सिरे से प्राथमिक डिक्री में हुए सहमति बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार ही फाईनल डिक्री जारी करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा